(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1659–दो/2010, विरूद्ध आदेश दिनांक 12–10–2010 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 175/अपील/2008–09

1– जन्नत बी पति हासम,

2– इकबाल पिता हासम,

3– रईस पिता हासम संरक्षक जन्नत बी

सम्मत निवासीगण खामगरी, तहसील व जिला

मन्दसौर (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– कासम पिता इस्माईल

निवासी ग्राम रिछालालमुहा, तहसील व

जिला मंदसौर

2– गफूर पिता इस्माईल,

3– इब्राहीम पिता इस्माईल,

4– रशीद पिता इस्माईल,

..... अनावेदकगण

.....

श्री अखलाक कुरैशी अभिभाषक, आवेदकगण

श्री के0के0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/2/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन, संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–10–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम लामगरी, जिला–मंदसौर में आवेदकगण के एकमात्र स्वामित्व व आधिपत्य की वादग्रस्त कृषि भूमि सर्वे क्रं0 204/2 रकबा 0.440 हे0, 276/2 रकबा 0.053, 213/1 रकबा, 0.185, 554/2 रकबा 0.159 एवं 558/2 रकबा 0.676 हे0 कुल रकबा 1.543 हे0 स्थित है । वादग्रस्त भूमि पर आवेदकगण का नामांतरण अविवादित रूप से एवं आपसी सहमति से किया गया । वादग्रस्त भूमि आवेदकगण क्रं0 2 व 3 के पिता तथा जन्नत बी के पति हासम पिता ईस्माईल के नाम दर्ज है । सहायक बंदोबस्त अधिकारी मंदसौर द्वारा वर्ष 1993–94 में नागरिक तथा नगरेत्तर क्षेत्रों के गांवों के लिये नामांतरण पंजी क्र0 5/1994 के आधार पर दिनांक 16–06–1994 को बंटवारा किया गया था । तब से आज तक वादग्रस्त भूमि पर आवेदकगण व उसके पूर्वज का कब्जा निरंतर चला आ रहा है । अनावेदक क्रं0 1 द्वारा सहायक बंदोबस्त अधिकारी मंदसौर के पंजी क्रं0 5/1994 आदेश दिनांक 16–06–1994 के विरूद्ध अपर कलेक्टर जिला मन्दसौर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 01/अपील/2008–09 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 11–11–2008 को उक्त अपील स्वीकार की गई । अपर कलेक्टर मंदसौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–11–2008 से दुखी होकर आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष पेश किया गया, जो प्रकरण क्रमांक 175/अपील/2008–09 पर दर्ज होकर दिनांक 12–10–2010 को निरस्त की गई । न्यायालय अपर आयुक्त

उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–10–2010 से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर के समक्ष अनवेदक क्रं0 1 ने दिनांक 16–06–1994 के सहायक बन्दोबस्त के आदेश के विरूद्ध अपील दिनांक 10–07–2008 को अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जो लगभग साढ़े 14 वर्ष के पश्चात प्रस्तुत की गई जिसमें धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र अवश्य प्रस्तुत किया गया, परन्तु अवधि विधान के आवेदन का कोई निराकरण किए बिना आदेश पारित करने में त्रुटि की है। विधानानुसार अवधि बाह्य अपील/निगरानी की सुनवाई के लिये सर्वप्रथम अवधि के सम्बन्ध में सुना जाना आवश्यक है यदि अपीली निगरानी अन्दर अवधि मान्य की जाती है उस दशा में गुण–दोष पर अपील/निगरानी का निराकरण किया जा सकता है, परन्तु अपर कलेक्टर द्वारा अवधि के प्रश्न का निराकरण किए बिना गुण–दोष पर अपील का निराकरण कर दिया गया । न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन द्वारा अपील में उठाये गये बिन्दुओं पर विचार किये बिना ही आदेश पारित कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय का यह कर्तव्य है कि उनके समक्ष जो वैधानिक तथा तथ्यात्मक बिन्दु उठाए जाते है उनका निराकरण किया जाना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा 14 वर्ष विलम्ब से अपील से अपील प्रस्तुत करने का कोई स्पष्ट कारण न होते हुए तथा धारा 5 अवधि विधान का निराकरण न करते हुए अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश प्रदान करने में भूल की है । तर्क में यह भी बताया है कि नामांतरण पंजी में अनावेदक क्रमांक 1 कासम के हस्ताक्षर है तथा उसने स्वयं हस्ताक्षर कर बंटवारा अपनी सहमती देकर मन्जूर किया है तथा स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष " दादी मॉ " के यहां गोद लिया जाना बताया है ऐसी स्थिति में उसके द्वारा मुकर जाने पर धारा 115 (पिबंध) साक्ष्य अधिनियम की बाधा आती है जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान न देकर आदेश प्रदान किया गया है । अनावेदक क्रं0 1 का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि विधान स्पष्ट न होते हुये तथा प्रत्येक दिन का

साबित न करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया गया है । अनावेदकगण के मन में बदनियती आ जाने के से उनके द्वारा मिली भगत कर अधीनस्थ न्यायालय में 14 वर्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । अनावेदकगण तथा आवेदकगण के पिता के मध्य बटवारा दिनांक 16–06–1994 को सहायक बन्दोबस्त अधिकारी मन्दसौर के नामांतरण पंजी के आधार पर हुआ बंटवारा अनावेदकगण की मौजूदगी व सहमती के हस्ताक्षर के साथ हुआ । अनावेदक ने अपने आपको दादी मॉ के यहां गोद लिया जाना बताया है जिसका वर्णन पंजी में है । इस प्रकार 14 वर्ष पश्चात अनावेदक द्वारा अन्या अनावेदकगणों से मिलकर यह आवेदन पेश किया हे । अतः आवेदक के अधिवक्ता द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा धुंधडका, मन्दसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–12–13 को स्थिर रखते हुए, अपर कलेक्टर मन्दसौर एवं अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि आवेदकगण द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल में पुनरीक्षण आवेदन अपर आयुक्त उज्जेन के प्रकरण क्रमांक 175/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 12–10–2010 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की है । आवेदकगण सहायक बंदोबस्त अधिकारी मंदसौर के यहां गुपचुप तरीके से कार्यवाही करके विवादित कृषि भूमि खाते का बंटवारा मृतक जैतूनबाई के बीच करवा लिया है । इस बंटवारे में अनावेदक कासम को कोई भी कृषि भूमि नहीं दी गई है । बंटवारे की कार्यवाही की सूचना आवेदक को प्राप्त नहीं हुई हे । बंटवारा पंजी में वज्ञप्ति भी जारी नहीं की गई है नामांतरण पंजी में जो बंटवारा किया गया है उसमें कासम को कोई हिस्सा नहीं दिया गया है । सहायक बंदोबस्त अधिकारी मंदसौर का आदेश को निरस्त करते हुए एवं अपर आयुक्त उज्जैन ने जो निर्णय दिया है वह सही है । अंत में अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश न्यायासंगत

एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । यह तथ्य अविवादित है कि उभय पक्ष भू अभिलेखों में अभिलिखित सहखातेदार थे । तब विचारण न्यायालय द्वारा बंटवारा कार्यवाही में सहखातेदार को कोई हिस्सा न देने के कोई प्रमाणिक आधार नामांतरण पंजी पर उपलब्ध नहीं थे । सभी सहखातेदारों को व्यक्तिगत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देना भी प्रमाणित नहीं है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों ने समय सीमा का लाभ देते हुए उभयपक्ष को सुनकर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की है । उभयपक्ष को गुण–दोषों पर अपना–अपना साक्ष्य रखने का अवसर वहॉ उपलब्ध है । फलतः यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर